झारखण्ड राज्य

बनाम

सन्नी कुमार उर्फ सन्नी कुमार साव

(आपराधिक याचिका संख्या 538/2025)

(03 फरवरी 2025)

[बेला एम. त्रिवेदी और प्रसन्ना बी. वराले, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश की यथार्थता से संबंधित है, जिसके तहत आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मामले में जमानत दी गई थी, और बाद में वह समान प्रकृति के एक अन्य मामले में भी शामिल पाया गया।

संक्षिप्त मुक़दमा

नशीले द्रव्य और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 18 - जमानत - उच्च न्यायालय ने आरोपी को एक ऐसे मामले में जमानत दी, जो धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था - तत्पश्चात, आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य मामले में भी शामिल पाया गया और उसी के लिए गिरफ्तार किया गया, तथा उस मामले में सुनवाई पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी;

निर्णय: अपराध की प्रकृति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत समान अपराध में भी गिरफ्तार किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को निरस्त करना उचित है - विवादित आदेश निरस्त किया जाता है - आरोपी को हिरासत में लिया जाए तथा ट्रायल कोर्ट को विचारण शीघ्रतापूर्वक करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 5, 6]

अधिनियमों की सूची

नशीले द्रव्य और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985

कीवर्ड्स की सूची

जमानत; गिरफ्तारी; जमानत पर रहते हुए आरोपी का अन्य मामले में संलिप्त होना; समान अपराध में गिरफ्तारी।

केस का उद्भव

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र: आपराधिक अपील संख्या 538/2025

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक 24.11.2022 को जमानत आवेदन सं. 9276/2022 में पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न।

पक्षों के लिए उपस्थितियाँ

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:
फ़र्रुख़ रशीद, सुश्री तुलिका मुखर्जी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता:
सुश्री वृंदा भंडारी, सुश्री प्रज्ञा बरसैयां।

माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गयी|

2. वर्तमान अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा जमानत आवेदन सं. 9276/2022 में दिनांक 24.11.2022 को पारित विवादित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-आरोपी द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार किया था, जिसमें उसने थाना सदर, जिला-चतरा, झारखंड में दर्ज केस सं. 231/2022 से संबंधित, नशीले द्रव्य और मादक पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा-18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए जमानत मांगी थी।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित काबिल अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को पारित विवादित आदेश के तहत प्रतिवादी-आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात, वह एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य मामले में भी शामिल पाया गया और उसी संबंध में 12.07.2023 को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने

यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील से संबंधित मामले में विचारण (ट्रायल) पहले ही प्रारंभ हो चुका है और केवल तीन गवाहों का परीक्षण शेष है।

4. हालाँकि, प्रतिवादी-आरोपी की ओर से उपस्थित सक्षम अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी व्यावसायिक मात्रा की नहीं थी, बल्कि वह केवल मध्यवर्ती मात्रा में थी, और अतः धारा-37 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य-अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-आरोपी को जमानत प्रदान करने वाले आदेश को चुनौती दी है, न कि किसी जमानत शर्त के उल्लंघन के आधार पर जमानत निरस्तीकरण का मामला है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में प्रतिवादी-आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक अन्य अपराध के संबंध में गिरफ्तार है, जो वर्तमान मामले के बाद दर्ज हुआ है।

5. पक्षकारों की ओर से सक्षम अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण, अपराध की प्रकृति, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत समान अपराध में भी गिरफ्तार किया गया है, हमें यह उचित प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को निरस्त किया जाए।

6. अत: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को पारित विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी-आरोपी को थाना-सदर, जिला-चतरा, झारखंड में दर्ज केस संख्या 231/2022 के संबंध में हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। तथापि, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण प्रक्रिया में शीघ्रता करे और विधि के अनुसार उसे यथाशीघ्र, वरीयता के आधार पर इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार माह के भीतर संपन्न करे।

7. अत: अपील स्वीकार की जाती है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निरस्त माने जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत ।

† हेडनोट्स द्वारा: निधि जैन

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|